न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर

आवेदन 183 /2014

1. परमेश्वरी देवी पत्नि भागीरथ मल आयु 45 वर्ष जाति बलाई निवासी ग्राम खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।
2. नारायणी देवी पत्नि कुरडाराम जायु 50 साल जाति बलाई निवासी ग्राम खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

—प्रार्थी/आवेदक

बनाम

1. रामदेव पुत्र मालाराम जाति बलाई निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।
2. बिमलादेवी पत्नि रामदेव जाति बलाई निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।
3. पटवारी हल्का खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राजस्थान)।
4. उप पंजीयक तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राजस्थान)।
5. तहसीलदार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राजस्थान)

—अप्रार्थी/अनावेदकगण

उपस्थितः—प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही ।

आवेदन अं0 धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय **दिंनाक :—03.08.2016**

आवेदन का संक्षिप्त सार इस प्रकार से है :—

1. यह है कि कृषि भूमि ख. नं. 4245/340 रकबा 0.20 हैक्टर ग्राम खाटूश्यामजी पटवार हल्का खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। जमाबन्दी संवत 2067—2070 के अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारीशुदा कृषि भूमि थी जिसकी वर्तमान खातेदारी जरिये नामान्तकरण संख्या 2982 दिनांक 05.0.5.2014 से अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जरिये बक्शीस दिनांक 10. 04.2014 से दर्ज करवादी गई । अप्रार्थी संख्या 1 बहुत ही तेज चालाक शातिर किस्म का व्यक्ति है जिसने अपनी खातेदारीशुदा भूमि खसरा नम्बर 340 रकबा 0.54 हैक्टर में से 0.18 हैक्टर भूमि का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.08. 2007 से प्रार्थियाओं के पक्ष में स्वेच्छा से करवा दिया था तथा केतागणों से उक्त विकीत भूमि की प्रतिफल राशि 52000— रूपये नकद प्राप्त कर विकीत भूमि का कब्जा वास्तविक एवं भौतिक रूप से प्रार्थीयागण संख्या 1 व 2 को संभला दिया था तब से लेकर आज तक प्रार्थीयागण संख्या 1 व 2 उक्त वादग्रस्त सम्पदा पर शान्ति पूर्वक काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है तथा वादग्रस्त भूमि पर सपरिवार

उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ

Scanned by CamScanner

आवास निवास कर रही है । उक्त विकीत भूमि का रकबा 0.18 हैक्टर से प्रार्थीयागण संख्या 1 व 2 ग्रामीण परिवेश की अनपढ महिलाएं हैं जिनको राजकाल के कार्यो की जानकारी नहीं होने के कारण अपने पक्ष में पंजिबद्व विक्रय पत्र दिनांक 06.08.2007 का इन्द्राज राजस्व रेकार्ड में जरिये नामान्तकरण आज तक नहीं करवाया है । जिस वजह से अवेदीकागण का नाम विक्रता के स्थान पर खातेदारी में दर्ज नहीं हुआ तथा विक्रता का नाम यथावत रहने से उसके मन में बेईमानी आ गई तथा उसने उक्त विकीत भूमि का बक्शीसनामा दिनांक 10.04.2014 को अपनी पत्नि बिमलादेवी अप्रार्थी संख्या 2 के नाम गुंपचुप में करवाकर खातेदारी जरिये नामान्तकरण संख्या 2982 दिनांक 05.05.2014 को जमाबन्दी में दर्ज करवा ली जिसकी जानकारी आवेदिकागणों को नहीं दी ।

2. उक्त भूमि पर आज मौके पर प्रार्थीयागण संख्या 1 व 2 आवास निवास कर रही हैं तथा परिवार के साथ रह रही है विगत 5–7 दिन पूर्व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 आवेदिगणों के घर पर आये तथा धमकी देकर कहा कि उक्त वादग्रस्त भूमि से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है उक्त भूमि की खातेदारी हमारे नाम से है यहां से कब्जा हटाओ वरना हम भूमाफिया गिरोह से मिलकर लाठी एवं पैसों के बल पर बेदखल कर देंगे । अगर अनावेदकगण अनुचित,अनाधिकृत,अवैध कार्यवाही में आवेदिकाओं को मौके से बेदखल कर देंगे तो आवेदक के अधिकारों का हनन होगा। आवेदिकाओं के विधिक अधिकारों एवं आर्थिक एवं साम्पतिक अधिकारों की सुरक्षार्थ यह आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा का लाया जाना लाजिम आया है। प्रथम दृष्टया मामला आवेदिकाओं/प्रार्थीयाओं का सुदृढ है, सुविधा का सन्तुलन भी आवेदिकाओं के पक्ष में होने के कारण अपूर्तनीय क्षति भी आवेदक को ही हो रही है, यदि अनावेदकगण आवेदक को उनके हिस्से की भूमि से गलत खातेदारी अंकन के आधार पर बेदखल करने,दखलंदाजी करने, या अन्य किसी भी प्रकार से बाधा उत्पन्न करने में सफल हो गये तो आवेदिकाओं को इस कदर असीम क्षति होगी जिसकी तलाफी किया जाना किसी प्रकार भी संम्भव नहीं है, इसलिए अनावेदकगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना सादर प्रार्थनीय है।

1 आवेदन दर्ज रजि0 किया गया तथा अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये अप्रार्थी सं. 1 से 5 को विधिवत सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

2 हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी/ आवेदक की एक पक्षीय बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया तथा दोनो बिन्दुओं पर मनन करने के पश्चात कृषि भूमि ख. नं. 4245/340 रकबा 0.20 हैक्टर ग्राम खाटूश्यामजी पटवार हल्का खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त में से प्रार्थियाओं के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विक्रय पत्र पंजीकृत करवाया हुआ है **अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर विवादित आराजियात** कृषि भूमि ख. नं. 4245/340 रकबा 0.20 हैक्टर ग्राम खाटूश्यामजी पटवार हल्का खाटूश्यामजी **तहसील दांतारामगढ जिला सीकर आवेदन में**

उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ

Scanned by CamScanner

सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति प्रार्थीयाओं/आवेदिकाओं के पक्ष में बनती है अतः अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से तादौराने दावा पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः प्रार्थीगण का आवेदन अं.धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम बाबत स्थगन स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण/अनावेदकगण को तादौराने दावा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजियात कृषि भूमि ख. नं. 4245/340 रकबा 0.20 हैक्टर ग्राम खाटूश्यामजी पटवार हल्का खाटूश्यामजी पटवार मण्डल खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील कार्यवाही मूल दावा के संलग्न हो।

यह आवेदन आज दिनांक 03.08.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ
उपखण्ड, अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner